उपभोक्ता शिक्षा

वेरिटास फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ("वेरिटास फाइनेंस" या "कंपनी"), भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रजिस्टर्ड व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण एक नॉन-डिपॉज़िट नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (एनबीएफसी) है। वेरिटास फाइनेंस को एमएसएमई क्षेत्र में छोटे व्यवसायों की वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) और व्यावसायिक लोन आवश्यकताओं को पूरा करने के मुख्य उद्देश्य से निर्मित किया गया है।

नियामक के दिशानिर्देशों के अनुसार, संशोधित नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) संबंधी नियमों पर ग्राहकों को शिक्षित करने और उन्हें देय तिथियों और अन्य संबंधित पहलुओं के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर उपभोक्ता शिक्षा के लिए यह जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, कंपनी संभावित ग्राहक से मिलने के समय लोन राशि, वार्षिक ब्याज दर, बीमा का प्रीमियम, प्रोसेसिंग शुल्क के बारे में उधारकर्ता को सूचित करती है, जो प्रत्यक्ष सोर्सिंग प्रक्रिया के भाग के रूप में प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट होने के बाद लोन आवेदन फॉर्म भरते हैं। लोन की स्वीकृति के बाद, कंपनी द्वारा जारी स्वीकृति पत्र में लोन की शर्तों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जाती है, जिसमें विलंबित भुगतान के लिए दंडात्मक शुल्क, भुगतान साधन के बाउंस होने का शुल्क, लोन की अवधि और किस्त की राशि, मूलधन और ब्याज का भाग आदि सहित पूर्ण पुनर्भुगतान अनुसूची शामिल होती है; साथ ही लोन अनुबंध में अधिक विस्तृत जानकारी दी जाती है।

ब्याज दर

ग्राहक के जोखिम मूल्यांकन से जुड़ी ब्याज दर पॉलिसी के आधार पर लागू ब्याज दर नीचे दी गई है:

उत्पाद	टिकट साइज़ (रुपये)	आरओआई
एमएसएमई – रूरल – बिज़नेस लोन		
फाइनेंशियल इंक्लूज़न लोन	1-5 लाख	20-28%
माइक्रो बिज़नेस लोन	5-15 लाख	18-26%
स्मॉल बिज़नेस लोन	15-30 लाख	16-24%
वेरिटास – होम लोन		
होम लोन	5-30 लाख रुपये	14.5-20%
संपत्ति पर लोन	रु.5-100 लाख	12.5-20%
एमएसएमई - वर्किंग कैपिटल लोन		
अनसेक्योर्ड	0.50 से 2 लाख रुपये	27-28%
सेक्योर्ड	2-10 लाख रुपये	24-26%
यूज़्ड व्हीकल लोन		
सेक्योर्ड	1-15 लाख रुपये	15-24%

उपरोक्त ब्याज दर की लागत, जोखिम मूल्यांकन आदि के आधार पर कंपनी द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अधीन है, और प्रत्येक लोन के लिए स्वीकृति के समय सटीक ब्याज दर की जानकारी दी जाएगी।

समान मासिक किस्तें (ईएमआई)

ईएमआई की गणना लोन पुनर्भुगतान अवधि और प्राप्त ब्याज दर के आधार पर की जाती है। ईएमआई, मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए ली जाने वाली कुल राशि है, जिसका भुगतान लोन की अवधि तक मासिक आधार पर किया जाता है। ईएमआई का भुगतान हो जाने के बाद, मूलधन कम होने के कारण लोन की कुल बकाया राशि कम हो जाती है।

नियत तिथि पर ईएमआई भुगतान और विलंबित भुगतान शुल्क

सभी एमएसएमई लोन की देय तिथि हर महीने की 5 तारीख होगी, सभी होम कंस्ट्रक्शन लोन के लिए यह हर महीने की 10 तारीख होगी और दैनिक/साप्ताहिक पुनर्भुगतान वाले वर्किंग कैपिटल लोन के लिए यह पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार होगी। ग्राहकों से अनुरोध है कि एनएसीएच का उपयोग करके भुगतान करने के कारण वे ईएमआई पुनर्भुगतान की नियत देय तिथि से कम से कम एक दिन पहले अपने निर्धारित बैंक खाते में पर्याप्त राशि बनाए रखें।

विलंबित भुगतान शुल्क

अस्वीकृत चेक/एनएसीएच फेल होने पर, अस्वीकृति के समय एक बार के बाउंस शुल्क और ईएमआई का भुगतान होने तक विलंबित अवधि के लिए विलंबित भुगतान शुल्क, दोनों लिए जाएंगे।

बकाया राशि और एनपीए की तिथि की अवधारणा

ईएमआई या पुनर्भुगतान बकाया का भुगतान नियत तिथि पर या उससे पहले किया जाना चाहिए। नियत तिथि के बाद, यह बकाया हो जाता है। नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) का मतलब ग्राहकों की तरफ से पुनर्भुगतान का बकाया/ईएमआई का बकाया होना है, जिसे ग्राहक की तरफ से 90 दिनों से अधिक की अवधि तक भुगतान नहीं किया गया है।

दिन की समाप्ति प्रक्रिया के आधार पर नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) का वर्गीकरण

उधारकर्ता के खातों को स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए) के साथ-साथ एनपीए के रूप में वर्गीकरण संबंधित तिथि के अनुसार, दिन की समाप्ति प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण की तिथि, कैलेंडर की वह तिथि होगी, जिस दिन समाप्ति प्रक्रिया चलाई जाती है।

उदाहरण: अगर किसी खाते के लिए देय तिथि (जैसे 5 दिसंबर 2021) 90 दिन से अधिक हो जाती है, तो इसे 5 दिसंबर 2021 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एनपीए में संशोधन

उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन के पूरी बकाया राशि का भुगतान किए जाने पर ही एनपीए के रूप में वर्गीकृत लोन खातों को 'मानक' एसेट के रूप में संशोधित किया जाता है। आंशिक रूप से प्राप्त कोई भी राशि, जो लंबित ईएमआई की संख्या को 3 ईएमआई से कम कर देती है, उससे एसेट का अपग्रेडेशन नहीं किया जाएगा।

उदाहरण: 4 बकाया ईएमआई वाले खाते को एनपीए खाता कहते हैं। पहले, 2 ईएमआई मिलने पर खाते को मानक एसेट में अपग्रेड किया जाता था। संशोधित मानदंडों के अनुसार, अगर सभी 4 देय ईएमआई पूरी तरह से प्राप्त हो जाती हैं और खाते को एक्स-बकेट में वापस लाया जाता है, तो खाते से संबंधित समस्या को समाप्त हुआ माना जाएगा और मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

जब किसी लोन के लिए 90 दिन तक बकाया राशि का भुगतान (डीपीडी) नहीं किया जाता है, तो सिस्टम के तहत उसे उस तिथि पर एनपीए के रूप में चिह्नित किया जाएगा। एसेट के 0 डीपीडी तक (संपूर्ण बकाया चुकाने पर या लोन सेटल होने और बंद होने पर) पहुंचने के बाद ही एनपीए हटाया जाएगा।

लोन संबंधी ज़िम्मेदार आचरण:

अपनी वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से या ग्राहक को विशेष रूप से सूचित करके, वेरिटास अपने उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) को मंजूरी की शर्तों और नियमों में किसी भी बदलाव की सूचना देगा। वेरिटास यह भी सुनिश्चित करेगा कि ब्याज दरों, शुल्कों और प्रभारों में परिवर्तन केवल भावी रूप से ही लागू किए जाएं।

अनुबंध के तहत राशि वापस लेने/ भुगतान को तेज़ करने या अन्य निर्णय संबंधित लोन अनुबंध के अनुरूप होगा।

वेरिटास अपने उधारकर्ता की सभी प्रतिभूतियों को केवल ऐसे उधारकर्ता द्वारा समस्त देय राशि के पुनर्भुगतान पर, या केवल उधारकर्ता द्वारा ली गई सीमा की बकाया राशि की वसूली पर जारी करेगा, और ऐसा किसी भी वैध अधिकार या किसी अन्य दावे के लिए ग्रहणाधिकार के अध्यधीन होगा जो वेरिटास के पास अपने उधारकर्ता के खिलाफ हो सकता है। यदि सेट-ऑफ के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ता को शेष दावों और उन शर्तों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ नोटिस दिया जाएगा, जिसके तहत वेरिटास प्रतिभूतियों को तब तक बनाए रखने का हकदार होगी जब तक कि संबंधित दावे का निपटान या उधारकर्ता द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। .

वेरिटास लोन खाते के पूर्ण पुनर्भुगतान/सेटलमेंट के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर मूल चल/अचल संपत्ति संबंधी सभी डॉक्यूमेंट को जारी करेगा और किसी भी रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड शुल्कों को हटा देगा।

30 दिनों के बाद भी डॉक्यूमेंट जारी न करने की स्थिति में, वेरिटास देरी के प्रत्येक दिन के लिए 5000/- रुपये का भुगतान करेगा। मूल अचल संपत्ति संबंधी डॉक्यूमेंट के आंशिक या पूर्ण रूप से खोने/नुकसान होने की स्थिति में, वेरिटास उधारकर्ता को अचल संपत्ति संबंधी डॉक्यूमेंट की डुप्लिकेट/प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में सहायता करेगा और उपरोक्त दर्ज क्षतिपूर्ति के भुगतान के अलावा, संबंधित लागतों को भी वहन करेगा। ऐसे मामलों में, विलंबित अवधि के लिए दंड की गणना 60 दिनों के बाद की जाएगी। उपरोक्त लागू कानून के अनुसार उधारकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

वेरिटास अपने उधारकर्ताओं को मूल चल/अचल परिसंपत्ति दस्तावेजों को या तो अपनी उस शाखा से एकत्र करने का विकल्प देगा जहां ऋण खाता संचालित किया गया था या वेरिटास के किसी अन्य कार्यालय से जहां दस्तावेज उपलब्ध हैं, जैसा कि उधारकर्ता द्वारा पसंद किया गया है।

उधारकर्ताओं या संयुक्त उधारकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में:

ऐसे उधारकर्ताओं के केवल कानूनी उत्तराधिकारी ही वेरिटास से मूल चल/अचल संपत्ति के डॉक्यूमेंट के लिए दावा करने/प्राप्त करने के हकदार होंगे। ऐसी स्थिति में, ऐसे उधारकर्ता के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए शाखा में वास्तविक रूप से उपस्थित होना पड़ेगा, यदि उधारकर्ता के सभी कानूनी उत्तराधिकारी शाखा में आने में असमर्थ हैं, तो किसी एक के कानूनी उत्तराधिकारी के पक्ष में प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि एक या अधिक कानूनी उत्तराधिकारी नाबालिग हैं, तो प्राकृतिक अभिभावक या न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावक को उक्त नाबालिग कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से दस्तावेज़ प्राप्त करने चाहिए।

उधारकर्ता की मृत्यु और कानूनी उत्तराधिकारियों के वैध प्रमाण के रूप में निम्न डॉक्यूमेंट स्वीकार किए जाते हैं।

- संबंधित नगर पालिकाओं द्वारा जारी उधारकर्ता का मृत्यु प्रमाण पत्र
- राजस्व अधिकारियों/तहसीलदार द्वारा जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या अधिकार क्षेत्र वाली अदालत द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या
- प्रशासन का पत्र
- कानूनी उत्तराधिकारियों का विवरण देने वाले शपथ पत्र पर मजिस्ट्रेट/जिला सिविल न्यायालय का अनुमोदन
- कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति में, न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र/प्रशासन के पत्र को ही कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रमाणिक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री

सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइज़ेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटेरेस्ट ऑफ इंडिया (सीईआरएसएआई) एक संस्थान है, जहां ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय रूप से संग्रहीत किया जाता है।

सीकेवाईसी के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

1. पहचान का प्रमाण (पीओएल)-पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, नरेगा जॉब कार्ड
2. पता का प्रमाण (पीओए)-आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी
3. हाल ही की पासपोर्ट साइज़ फोटो
4. पैन कार्ड विवरण

सीकेवाईसी पहचान नंबर और इसके उपयोग

- सीकेवाईसी पहचान नंबर एक अनोखी 14-अंकों की पहचान संख्या होती है, जो आपके फाइनेंशियल संस्थान द्वारा सीकेवाईसीआर पर अपलोड किए गए केवाईसी संबंधी विवरणों के आधार पर आपको प्रदान की जाती है।
- सीकेवाईसी पहचान नंबर खाता रखने वाले किसी भी फाइनेंशियल संस्थान से प्राप्त किया जा सकता है।
- सीकेवाईसी पहचान नंबर पूरे भारत में मान्य है और इसका उपयोग आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए द्वारा विनियमित किसी भी फाइनेंशियल संस्थान में खाता खोलते समय किया जा सकता है।
- जब भी आप कोई नया फाइनेंशियल संबंध शुरू करना चाहते हैं, तो केवाईसी डॉक्यूमेंट (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आदि) बार-बार जमा करने के बजाय सीकेवाईसी पहचान नंबर जमा कर सकते हैं।
- एक ही जगह पर डॉक्यूमेंट जमा करके, आप अपने केवाईसी विवरण, जैसे संपर्क विवरण, वर्तमान पता इत्यादि को उन सभी फाइनेंशियल संस्थानों के साथ अपडेट कर सकते हैं, जिनके साथ आपका खाता है।

अपने सीकेवाईसी पहचान नंबरका उपयोग करने के लाभ

- सभी फाइनेंशियल संबंधों के लिए एक बार केवाईसी अनुपालन / अपडेट
- बैंकिंग, बीमा, स्टॉक, पीओपी जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है
- दोबारा केवाईसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है।
- कागज़ रहित केवाईसी प्रक्रिया।
- आपके सीकेवाईसी पहचान नंबर का उपयोग पूरे भारत में किया जा सकता है। आज ही अपने फाइनेंशियल संस्थान से अपना सीकेवाईसी पहचान नंबर प्राप्त करें।

ग्राहक सेवा के लिए संपर्क विवरण

ग्राहक किसी भी शिकायत या अनुरोध के लिए ग्राहक संपर्क केंद्र के माध्यम से कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। हमारे ग्राहक सेवा का टोल फ्री नंबर 1800-202-9155 है और ईमेल आईडी customercare@veritasfin.in है।